भारत सरकार
वस्त्र मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1597
31 जुलाई, 2026 को जवाब दिया

जम्मू-कश्मीर में केंद्रीय वस्त्र योजनाओं का कार्यान्वयन

1597. श्री गुलाम अलीः

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने विगत पांच वर्षों के दौरान जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी), राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी), रेशम समग्र-2, पीएम मित्र, समर्थ, राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन और एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा की है;

(ख) उक्त योजनाओं के अंतर्गत आवंटित, निर्गत और व्यय की गई निधियों का जिला-वार ब्यौरा क्या है तथा लाभार्थियों, जिनमें बुनकर, शिल्पकार, रेशम उत्पादक, ऊन उत्पादक, कालीन बुनकर, पश्मीना उत्पादक, महिलाएं, अनुसूचित जनजातियां, अनुसूचित जातियां, अल्पसंख्यक, युवा तथा स्वयं-सहायता समूह शामिल है, का ब्यौरा क्या हैं;

(ग) इन योजनाओं के माध्यम से सृजित रोजगार और अर्जित निर्यात का ब्यौरा क्या है; और

(घ) परियोजनाओं के ब्यौरे सहित उनके लंबित रहने के क्या कारण हैं और उन्हें शीघ्र पूरा करने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

उत्तर
वस्त्र राज्य मंत्री
(श्री पबित्र मार्घेरिटा)

(क) से (घ): भारत सरकार ने जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश सहित देश भर में वस्त्र क्षेत्र के लिए विभिन्न योजनाओं/पहलों को लागू किया है। प्रमुख योजनाओं/पहलों में बड़े पैमाने पर विनिर्माण को बढ़ावा देने और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए मैन-मेड फाइबर (एमएमएफ) फैब्रिक, एमएमएफ अपैरल और तकनीकी वस्त्र पर फोकस करने वाली उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना; पीएम मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और अपैरल (पीएम मित्र) पार्क; वस्त्र पार्कों की स्थापना के लिए सब्सिडी प्रदान करने हेतु एकीकृत वस्त्र पार्क योजना (एसआईटीपी); विशेष फाइबर और तकनीकी वस्त्र के क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार, मशीनरी के स्वदेशी विकास और अपेक्षित कौशल के साथ मानव संसाधनों के निर्माण पर फोकस करने वाला राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (एनटीटीएम); रेशम उद्योग के समग्र विकास के लिए सिल्क समग्र-2; ऊन क्षेत्र के विकास के लिए एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम; मांग संचालित, प्लेसमेंट उन्मुख, कौशल कार्यक्रम प्रदान करने के उद्देश्य से वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए समर्थ-योजना; राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम; हथकरघा और

हस्तशिल्प क्षेत्रों हेतु एंड टू एंड सहायता प्रदान करने के लिए कच्ची सामग्री आपूर्ति योजना (आरएमएसएस) और राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम शामिल है।

वस्त्र मंत्रालय को वित्त वर्ष 2023-24 (आरई), 2024-25 (आरई), 2025-26 (आरई) और 2026-27 (बीई) के दौरान आवंटित कुल निधि क्रमशः 3443.09 करोड़ रुपये, 3342 करोड़ रुपये, 5766.68 करोड़ रुपये और 5279.01 करोड़ रुपये है। वित्त वर्ष 2023-24, 2024-25 और 2025-26 के दौरान जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश सहित वस्त्र क्षेत्र में कुल व्यय क्रमशः 3059.25 करोड़ रुपये, 2998.46 करोड़ रुपये और 5540 करोड़ रुपये था।

'उद्योग वार्षिक सर्वेक्षण' (एएसआई) और 'एनुअल सर्वे ऑफ़ अनइनकॉरपोरेटेड सेक्टर एंटरप्राइज़ेज़' (एएसयूएसई) के अनुसार, जम्मू-कश्मीर केंद्र-शासित प्रदेश में वस्त्र और अपैरल क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों की अनुमानित संख्या वर्ष 2021–22 में 1,96,602, 2022–23 में 2,26,668 और 2023–24 में 2,31,305 थी।

पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान जम्मू-कश्मीर से हस्तशिल्प सहित वस्त्र और अपैरल का निर्यात क्रमशः 734.6 करोड़ रुपये, 781.2 करोड़ रुपये और 856.9 करोड़ रुपये था।
